आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

09/12/24

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-213/2013-2014

(1) जितु उराँव,
(2) परनो कुजूर, ... आवेदकगण।

बनाम्

(1) मालती देवी,
(2) राजेश लाल पासवान, ... विपक्षीगण।

आदेश

आवेदकगण (1) जितु उराँव, पिता–भाकू उराँव, (2) परनो कुजूर, पति–स्व० सुखेर कुजूर, जाति–उराँव, सभी निवासी ग्राम–गीतीलकोचा, कोकर, थाना–सदर, जिला–राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदकगण ने आरोप लगाया है कि उनकी खतियानी भूमि पर विपक्षीगण (1) मालती देवी पति–किशोर लाल पासवान, (2) राजेश लाला पासवान, पिता–किशोर लाल पासवान, सभी निवासी ग्राम–जतरा टांड़ अखराकोचा, कोकर थाना–सदर, जिला–राँची द्वारा छल प्रपंच से हड़प लिया गया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
कोकर	196	58	470, 471	03 कट्ठा 08 छटाक

आवेदकगण ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन रिवीजनल सर्वे खतियान में लुशा उराँव वगैरह नाम दर्ज है। आवेदकगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। विपक्षीगण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर आवेदकगण को बेदखल कर

9/12/24

कृ०पृ०उल्टे

दिया है। इसी को आधार मानते हुए कारणपृच्छा प्रस्तुत करने हेतु विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, तथा संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

आवेदक ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि वर्णित खतियान लुशा उराँव, वगैरह के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत लुशा उराँव अपने पीछे लुघा उराँव वो भाकू उराँव को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। लुघा उराँव अपने पीछे मादी उराँव और सुखेर कुजूर को छोड़ गये। सुखेर कुजूर अपने पीछे परनो कुजूर (आवेदक) को छोड़ गये। भाकू उराँव अपने पीछे जीतु उराँव (आवेदक) वो सनिचरवा उराँव, वो बिगल उराँव, वो सुधीर उराँव को छोड़ गये है। आवेदकगण का कहना है कि विपक्षीगण द्वारा नजायज तरीके से जबरन दखल कब्जा कर जमीन को हड़प लिया गया है। आवेदकगण खतियानी रैयत के वंशज हैं।

आवेदक कि ओर से 05 पाँच गवाह प्रस्तुत किया गया है। गवाह सं०–01, बुधराम बड़ाईक अपने शपथ पत्र में कहते है कि यह आदिवासी खाते की जमीन है और छप्परबंदी प्रकृति की नहीं है, गवाह अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि जमीन पर घर बना हुआ है, तथा बिजली बिल का कनेक्शन लिए हुए है। गवाह सं०–02 किन्दु टोप्पो, पिता–स्व० सावना टोप्पो अपने शपथ पत्र में कहते है कि आवेदक की वर्णित भूमि पैतृक है और खतियानी रैयत जमीन नहीं बेचे है। गवाह सं०–03 अनिल मुण्डा उर्फ अनिल कच्छप, पिता–पुनई कच्छप तकरारी जमीन का खतियानी रैयत भाकू उराँव वगै० आवेदक इनके वंशज है, तथा भूमि छप्परबंदी नहीं है। गवाह अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि SAR वाद संख्या–45/2002–03 के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। गवाह सं०–04 मन्टु कच्छप, पिता–महादेव कच्छप कहते हैं कि तकरारी जमीन आदिवासी खाते की है और यह छप्परबंदी जमीन नहीं है। ये अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि मालती देवी का कच्चा मकान बना है। गवाह सं०–05 जीतु उरांव, पिता–स्व० भाकू उरांव अपने शपथ पत्र के कण्डिका–03 में कहते है कि विपक्षी जाली कागजात बनाकर मेरे जमीन को हड़पना चाहते है। यह कण्डिका–04 में कहते है कि हमारे विरोध के बाद जबरन घर बना लिए है, फिर कण्डिका–09 में कहते है कि अंचल में हमारे पूर्वजों का नाम दर्ज है। कण्डिका–10

M.J 9/12/24

कृ०पृ०उल्टे

में कहते हैं कि खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी वर्णित भूमि को कभी नहीं बेचे है। यह अपने प्रतिपरीक्षण में कहते है कि विपक्षी ने मेरे 02 कट्ठा जमीन पर घर–मकान बना लिया है। विपक्षी 2012 में घर बनाया है, ऐसी बात नहीं कि 1946 से विपक्षी मकान पर रह रहें है।

विपक्षीगण की ओर से कारणपृच्छा में कहते हैं कि यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत लाया गया है यह वाद चलने योग्य नहीं है तथा काल–बाधित है। विपक्षीगण का कहना है कि मैंने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 का उल्लंघन नहीं किया गया है। वर्णित भूमि 1946 ई० में जमींदार के पक्ष में समर्पण (Surrender) कर दिया है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 का उल्लंघन नहीं हुआ है। यह जमीन छप्परबंदी है तथा खतियान में घर–बाड़ी लिखा हुआ है। विपक्षीगण किशोर लाल पासवान राँची नगर निगम राँची में अपने नाम पर होल्डिंग टैक्स देते आ रहे हैं तथा घर मकान बना कर रह रहे हैं। जिसमें लगभग सात लाख खर्च हुआ है। यह जमीन खेती बाड़ी योग्य नहीं है। खतियान के कॉलम आठ में घर–बाड़ी दर्ज है। खतियानी रैयत लुशा उराँव वो भाकू उराँव ने ठाकुर महेन्द्र नाथ शाहदेव के पक्ष में समर्पण (Surrender) कर चुके हैं। आगे कहते हैं कि वर्णित भूमि पर पूर्व में SAR वाद दायर किया गया था, जिसका SAR वाद संख्या–45/2002–03 है। इस वाद में क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश पारित किया गया है। तत्पश्चात् जमीन विनियमित किया गया है। ज्योत्सना पाण्डेय के पक्ष में विपक्षीगण 1989 से बिजली बोर्ड को लगातार बिजली बिल का भुगतान करते आ रहे हैं तथा जमीन पर पक्का संरचना बना हुआ हैं। इसलिए आवेदक का वर्णित भूमि पर दावा गलत है। विपक्षीगण की ओर से निम्नलिखित कागज दाखिल किया गया है जिसमें सादा इस्तीफानामा का छायाप्रति, बिजली बिल का छायाप्रति, मालगुजारी रसीद का छायाप्रति, राशन कार्ड का छायाप्रति एवं SAR वाद संख्या–45/2002–03 पारित आदेश की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

विपक्षीगण की ओर से चार गवाह प्रस्तुत किया गया है। गवाह संख्या–01 राजेश लाल पासवान पिता–स्व० किशोर लाल पासवान, अपने शपथ पत्र में कहते

9/12/24

हैं कि 1969 से पूर्व विपक्षीगण घर मकान बना कर रह रहे हैं। जमीन समर्पण (Surrender) जमींदार ठाकूर महेन्द्र नाथ शाहदेव के पक्ष में हुआ है तथा बिजली कनेक्शन लिए हैं। गवाह संख्या–02 मुन्ना कच्छप, पिता–स्व० छोटे कच्छप अपने शपथ पत्र में कहते हैं कि ज्योत्सना पाण्डेय के पक्ष में एस०ए०आर० वाद संख्या–45/2002–03 आदेश पारित हुआ है तथा यह जमीन छप्परबंदी है। वे प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि होल्डिंग टैक्स मालती देवी के नाम पर कट रहा है। गवाह संख्या–03 उमेश चन्द्र गुप्ता, पिता–स्व० कविराज महतो अपने शपथ पत्र में कहते हैं कि जमीन छप्परबंदी घर–बाड़ी है तथा प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि होल्डिंग रसीद मालती देवी के नाम पर कट रहा है। गवाह संख्या–04 ब्रजेश लाल पासवान, पिता–स्व० किशोर लाल पासवान अपने शपथ पत्र में कहते हैं कि 01.09. 1946 ई० में छप्परबंदी बंदोबस्ती दस्तावेज जमींदार ठाकुर महेन्द्र नाथ शाहदेव जमींदारी रसीद भी कटा है। एस०ए०आर० वाद संख्या–45/2002–03 हुआ है तथा राँची नगर निगम, राँची से होल्डिंग टैक्स देते आ रहे हैं तथा छप्परबंदी कागजात मेरे जन्म से पूर्व का है।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बहस किया साथ में लिखित बहस भी दाखिल किया, इसमें कहते हैं कि आवेदक ने यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–71 "A" के अंतर्गत भू–वापसी के लिए लाया गया है, जो सही है। आवेदक जीतू उराँव खतियानी रैयत के वंशज है, तथा विपक्षी ने फर्जी कागज बनाया है। विपक्षी अपने कारणपृच्छा के कण्डिका–04 में कहते है कि 1945 में समर्पण (Surrender) सादा कागज पर है, तथा इसमें Settlee का नाम नहीं है। विपक्षी अपने कारणपृच्छा के कण्डिका–07 में कहते है कि खतियानी रैयत लुशा उरांव एवं भाकू उरांव ने महेन्द्र नाथ शहदेव के पक्ष में सादा समर्पण (Surrender) 1945 में किये हैं वह विवादित है और उसी ने विपक्षीगण के पिता–किशोर लाल पासवान को भी दिनांक–12.12.1946 को बन्दोबस्त किये है। आवेदक की ओर से पाँच गवाहों में से गवाह सं०–05 अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि खतियानी जमीन छप्परबंदी नहीं है। आगे कहते है कि छप्परबंदी से संबंधित कोई भी कागजात विपक्षी की ओर से न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। यह प्रमाणित करता है

M: 19/12/24

कि यह जमीन छप्परबंदी नहीं है। जिसे वह वर्णित भूमि को विपक्षीगण अवैध तरीके से दखल–कब्जा कर लिये है। कुछ वर्ष पहले बिजली कनेक्शन भी ले लिए हैं। विपक्षीगण की तरफ से दाखिल कागजात फर्जी है। विपक्षीगण की ओर से गवाह सं०–01 अपने प्रतिपरीक्षण में कहते है कि 1969 के संरचना के बारे में जो कहें हैं, वह असत्य है। आवेदक विपक्षी की ओर से छप्परबंदी सेटलमेंट कागज दिनांक– 12.12.1947 में किशोरी लाल पासवान के पक्ष में किया गया, इसमे 1100 (ग्यारह सौ रूपया) का भुगतान दिखाया गया है, जो गलत है क्योंकि TP Act Under Section 54 में कहा गया है कि 100 (एक सौ रूपया) से अधिक का भुगतान हुआ है तो निबंधित दस्तावेज होना चाहिए। इन सब पहलुओं को देखते हुए आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि ऐसी कोई भी कागजात दाखिल नहीं किए हैं, जिससे विपक्षी का जमीन पर दावा सही साबित हो। अतः वर्णित भूमि पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत जमीन आवेदक को वापस करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। इसलिए आवेदक को जमीन वापस होना चाहिए।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया। लिखित बहस भी दाखिल करते हुए कहते हैं कि यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है, यह वाद कालबाधित एवं Adverse Position में है, तथा CNT की धारा 46 का उल्लंघन नहीं हुआ है। वर्णित भूमि 1946 छप्परबंदी बन्दोबस्त हुआ, तथा 1945 ई० में समर्पण (Surrender) हुआ, उस वक्त उपायुक्त से अनुमति की जरूरत नहीं थी, तथा इसपर CNT की धारा 46 लागू नहीं होता है। वर्णित भूमि पर विपक्षी द्वारा राँची नगर निगम, राँची में होल्डींग टैक्स अपने नाम पर लगातार 1950 ई० से देते आ रहें हैं। इसके अलावा दो कट्ठा जमीन पर बाँउण्ड्री वॉल के अंदर घर–मकान बनाकर रह रहें हैं, यह जमीन कृषि योग्य नहीं है। खतियानी रैया लुशा उराँव और भाकू उराँव ने ठाकुर महेन्द्रनाथ शहदेव के पक्ष में सादा कागज में सरेन्डर 1945 ई० में छप्परबंदी कहकर कियें हैं। वर्णित भूमि पर पूर्व में SAR वाद चल चुका है,

कृ०पृ०उल्टे

जिसका वाद सं०–45/2002–03 है, सुधु उराँव बनाम् जयोत्सना पाण्डेय है, इसमें ज्योत्सना पाण्डेय के पक्ष में क्षतिपूर्ती राशि देने का आदेश हुआ था। क्षतिपूर्ती राशि देने के उपरान्त विनियमित वर्णित भूमि पर हुआ था। वर्त्तमान में मालती देवी के नाम पर बिजली का कनेक्शन है, इसलिए मैं भी क्षतिपूर्ती राशि का भुगतान करने को तैयार हूँ।

अतः दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का बहस सुनने और लिखित बहस एवं दोनों पक्षों के कागजातों के अवलोकन के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि आवेदकगण को भूमि वापस की जानी चाहिए। अतः यदि प्रश्नगत् भूमि ग्राम–कोकर, थाना नं०–196, खाता नं०–58, प्लॉट नं०–470, 471 रकबा–03 कट्ठा, 08 छटाक पर कोई संरचना निर्मित हो तो उसे हटाने हेतु प्रावधानुसार विपक्षी को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए आवेदक सहित वैध वंशजों को दखल देहानी दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

9/12/24
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची

9/12/24
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांकः–325 (ii) दिनांकः–11/12/24

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, शहर, राँची को प्रश्नगत भूमि पर वैध वंशजों को दखल–देहानी हेतु प्रेषित।

11/12/24
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.02.19 16:23:20 +05:30
Location: 192.168.67.39